समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित

NABET Gold Category

वर्ष: 17 अंक: 24 भोपाल प्रकाशन दिनांक: 25.12.2020

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह पृष्ट–08 (परिपत्र क्र. 53–57)

परिपत्र क्रमांक: 53

MPSSIO सदस्यों के व्यवसाय को एकीकृत B2B बाजार के माध्यम से पुरे भारत के व्यावसायिक संघों/संगठनों के सदस्यों/व्यापारियों से डिजिटल जोड़ने का अवसर

MPSSIO सदस्यों के व्यवसाय को डिजिटली (DIGITALLY) बहुत सरलता से प्रमोट करने के लिए हमारे B2B पोर्टल ibizzo.com की विशेषताओं को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए प्रस्तुत कर रहे है।

यह एक बहुत ही प्रभावी और सहज पोर्टल है, जो MPSSIO सदस्यों को न केवल भारतीय मार्केट में अपने उत्पादों को प्रमोट करने में मदद करेगा बल्कि शीघ्र ही ग्लोबल बाजारों में भी प्रमोट कर सकेंगे। यह गर्व की बात है कि ibizzo बैंगलोर की एक स्टार्टअप कम्पनी है और LUB कर्नाटक का सदस्य है। हम महत्वाकांक्षी युवा है, जो स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहते है। यह पोर्टल **''आत्मनिर्भर भारत''** और **''मेक इन इंडिया सेल ग्लोबली''**, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लक्ष्य से प्रेरित है।

सभी MPSSIO सदस्यों को पोर्टल पर पंजीकरण करने और उनके मार्केट की पहुँच को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपके समर्थन का अनुरोध करते हैं। ibizzo लघु (small) और सूक्ष्म (micro) इन्टरप्राइजेज की आवश्यकताओं को पुरा करता हैं।

ibizzo.com के निम्नलिखित अतिआवश्यक एंव उपयोगी फीचर्स:

MPSSIO के लिए उपलब्ध फीचर्स एवं सुविधाएँ:

1. गतिशील होम पेज उत्पादों और सेवाओं के साथ संगठन की गतिविधियों और इन्क्वायरी, आर्टिकल और वीडियो लिंक पोस्ट करने के लिए एक डिस्कशन बोर्ड का प्रावधान है।

उदाहरण: https://ibizzo.com/Laghu-Udyog-Bharati--Karnataka/pages/home

2. सभी MPSSIO के सदस्यों की पूरी स्वचालित सूची (automatic Listing), उनके लोगो (Logo) के साथ, उनका एक पृष्ठ वेबसाइट और गतिशील (dynamic) बिक्री सूची को प्रदर्शित करता है।

उदाहरण: https://ibizzo.com/Laghu-Udyog-Bharati--Karnataka/pages/partner-members

3. एक क्लिक पर सभी पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए समाचार पत्र की सुविधा।
4. MPSSIO के व्यवस्थापक नियंत्रण के तहत क्रेडेंशियल सेवा (कुछ समय बाद)। इस प्रक्रिया द्वारा मेम्बर की सदस्यता की स्थिति मिनीसाइट, खरीद पूछताछ (RFQ), बिक्री ऑफर में प्रदर्शित की जाएगी। यह MPSSIO की ब्रांडिंग को बढ़ाएगा और नए सदस्यों को भी लाएगा।
5. विभिन्न उद्योग के लिए उद्योग समूह (Cluster) का निर्माण और मुख्य पृष्ठ, सदस्य सूची, चर्चा बोर्ड जिस पर इन्क्वायरी, आर्टिकल और वीडियो लिंक और समाचार पत्र, क्रेडिंशियल सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन (import substitution) के लिए किया जा सकता है।
6. हम MPSSIO के इवेंट्स का प्रमोशन ibizzo के डेटाबेस में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बदले में हम चाहेंगे की ibizzo.com logo मैंन बैनर में डिस्प्ले करें। यह संगठन की पहुंच और भागीदारी बढ़ाएगा।

7. रजिस्टर्ड मेम्बर को 100 प्रतिशत खरीद पूछताछ (RFQ) और बिक्री ऑफर प्राप्त करने की सुविधा।

8. हमारे पोर्टल के ब्रांडिंग टूल्स के माध्यम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ब्रांड इक्विटी को बड़े ही कम दाम और प्रभावी तरीके से बड़ा सकेंगे।

9. भारत में सभी देशों के विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से विश्व स्तर पर व्यापार निकायों से जुड़ा जा कसता है।

10. सरकार और पब्लिक सेक्टर की खरीद आवश्यकताओं को पोस्ट करने के लिए निःशुल्क पेज। कोई भी सदस्य इन आवश्यकताओं को पार्टल पर पोस्ट कर इसे सप्लायर्स मेम्बर्स को फ्री में सूचित कर सकेगा। (कुछ समय बाद)

11. सभी नए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन्स के साथ–साथ पुराने नोटिफिकेशन्स को पोस्ट करने के लिए MPSSIO एडमिशन को मुफ्त पेज का प्रावधान। अधिसूचना, विभाग, विषय के आधार पर खोज सुविधा उपलब्ध है। सभी नई पोस्टिंग को सदस्यों के डैशबोर्ड में सूचित किया जाएगा। (कुछ समय बाद)

12. MPSSIO के कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क ईवेन्ट पेज।

MPSSIO सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए फीचर्स और सुविधाएँ:

1. पोर्टल में निःशुल्क पंजीकरण (registration)

2. बिक्री और खरीद उत्पादों का निःशुल्क लिस्टिंग। खरीदार विवरण को प्राप्त करने के लिए विक्रेता को एक छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा।

3. खरीद पूछताछ की निःशुल्क पोस्टिंग (RFQ)

4. निःशुल्क मूल (basic) मिनीसाइट और बिक्री कैटलॉग लिस्टिंग सदस्य के रजिस्टर होते ही।

5. रजिस्टर्ड मेम्बर चाहे तो एक गतिशील (dynamic) और आकर्षक सेल केटलॉग के साथ एक आकर्षक 1 पेज वेबसाइट (मिनीसाइट) बहुत कम लागत में निर्माण कर मुफ्त में सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते है।

इन भुगतान सेवाओं में:–

i. कम्पनी लोगो, ii. कम्पनी की छवियां, iii. You Tube में वीडियों लिंक, iv. उत्पाद कैटलॉग/फोटोज़, v. दस्तावेज और vi. प्रशंसा पत्र आदि अपलोड करना शामिल है।

वैसे तो रजिस्टर्ड मेम्बर उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सुविधा के लिए प्रति वर्ष 60 रूपये का एक छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता है, परन्तु MPSSIO के सदस्यों को बिना किसी डिज़ाइन शुल्क के आकर्षक मिनीसिट और सेल्स कैटलॉग तैयार करने के लिए निम्नलिखित बंडल ऑफर हम दे रहें है:

प्रति वर्ष रूपये 999/– लागत की पर असीमित (unlimited) सुविधाएँ और एक बार निःशुल्क 3000 डिजिटल फ्लायर भेजने (जिसकी लागत रू. 3000/– है – कैश बैक) की सुविधा दे रहें हैं।

इसके अलावा बंडल प्रस्ताव का उपयोग करने वाले मेम्बर के पास हर साल के अंत में ऑफर को रेन्यू (renew) करने का विकल्प होगा।

उदाहरण:

1 https://ibizzo.com/Laghu-Udyog-Bharati--Karnataka/minisite/home?companyName=Supram-Industries&sellerId=53

2 https://ibizzo.com/Laghu-Udyog-Bharati--Karnataka/minisite/sales-catalogue?companyName=Viprof-Electronics&sellerId=40073

6. डिजिटल फ्लायर्स (flyers) एक बहुत ही किफायती पर इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टूल हमारे पोर्टल में है। इन फ्लायर्स को अभियान संदेश, मिनीसाइट लिंक और सेल्स कैटलॉग सहित टार्गेटेड कस्टमर को भेज सकते है। रिकॉर्ड के लिए हर अभियान को विशेष नाम दे सकते हैं। ये डेटाबेस में प्रति फ्लायर सिर्फ 1 रूपये की लागत में प्रसाति किया जा सकता है। फ्लायर लिंक को मेल, SMS और सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर मुफ्त में शेयर किया जा सकता है।

उदाहरण: 1. https://ibizzo.com/m/p/n/b2b-portal-lub-digitalFlyers-17-80303.html

2. https://ibizzo.com/m/p/n/b2b-portal-lub-digitalFlyers-14-80303.html

7. बी2बी (B2B) मोबाइल ऐप – दिसंबर 2020 तक।

8. बी2सी (B2C) मोबाइल ऐप – जनवरी 2021 तक।

9. विज्ञापन पैनल रजिस्टर्ड मेम्बर के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में और बहुत कम दाम पर।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSSIO के सदस्यों को भारत और दुनिया भर में अन्य उद्योग संघों और व्यापार निकायों के सदस्यों से भी जोड़ेगा।

* * * * *

परिपत्र क्रमांकः 54

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ/23/2020–21/1016–1024 दिनांकः 14.12.2020

प्रति,

श्री ओमप्रकाश सकलेचा
माननीय मंत्री, म.प्र. शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
ई–44, 45 बंगले,
भोपाल।

विषयः प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर जिला उद्योग केन्द्र तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों द्वारा आरोपित संधारण शुल्क तथा नगर निकायों द्वारा आरोपित संपत्ति कर पर विवेचना तथा उद्योगों को उससे छूट प्रदान करने बावत्।

संदर्भः म.प्र. शासन की औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1981, 82 एवं 83.

आदरणीय महोदय,

म.प्र. शासन औद्योगिक नीति वं कार्ययोजना 1988 में राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास, विस्तार एवं संरक्षण के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा निम्न बिन्दुओं को आधार बनाया गया था।

1. औद्योगीकरण के माध्यम से नये रोजगार के लाभप्रद अवसर उत्पन्न हो, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए।
2. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सतुलित विकास हो, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों का।
3. कुटीर उद्योगों, जैसे खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प विकास एवं चर्म शिल्प उद्योगों को संरक्षण देते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ उनका विकास हो। साथ में कुटीर तथा लघु उद्योग एवं बड़े उद्योगों का संतुलित विकास हो जिससे दोनो क्षेत्र एक–दूसरे के पूरक हो।
4. राज्य के स्थानीय उद्यमी प्रोत्साहित हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को विशेष सहायता प्राप्त हो।
5. स्थानीय संसाधनों का अधिकतम–उपयोग प्रदेश में ही उद्योग स्थापित करने के लिए हो।
6. पूर्ण विकसित अधोसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे उद्योगों की स्थापना के साथ–साथ उनकी उत्पादकता में वृद्धि भी हो सके।
7. प्रदेश उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से एक आकर्षक स्थान बन सकें, इस हेतु आकर्षक सुविधाओं के साथ–साथ करों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए एवं विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।
8. औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी प्रशासकीय एवं विकासत्मक तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जावे एवं निर्णय प्रक्रिया में तत्परता लायी जाये।
9. ऐसे उद्योग जिनके विकास की विशेष संभावनायें है अथवा जिनके माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास में गति आ सकती है, उनके विकास की और विशेष ध्यान दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हम आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहते हैं कि, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–6/3/81/11 दिनांक 14.12.1981 के बिन्दु क्रमांक (ब) एवं (द) जो निम्नानुसार हैं।

(ब) जो भूमि अर्थात क्षेत्र औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को उपलब्ध कराये जाते हैं उनकी व्यवस्था अथवा विकास/औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा किया जावेगा। इन क्षेत्रों का विकास ये निगम वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त कर एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धन राशि से करेंगे। बड़ी योजना विशेषकर जल प्रदाय योजना के लिए धनराशि राज्य शासन उपलब्ध करायेगा। साधारणतः ये योजनाएं जिनकी लागत रूपये 5 लाख से अधिक हो उनके लिए धनराशि शासन उपलब्ध करायेगा।

(द) औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा जो प्रब्याजी एवं भू–भाटक वसूल किया जाता है, वह उन्हीं के पास रहेगे और इस धनराशि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र की देख रेख और भविष्य में उनके विकास कार्यों में किया जावेगा।

उद्योग विभाग के उपरोक्त ज्ञापन के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं संधारण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति औद्योगिक विकास केन्द्रों को उद्यमी से प्राप्त प्रब्याजी तथा लीज़ रेन्ट की राशि से करना है। अतः वर्ष 2015 से राज्य शासन द्वारा उद्योगों पर लगाया गया संधारण शुल्क म.प्र. शासन के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध है। अतः हमारा आपसे आग्रह है कि, उद्योगों पर प्रभावशील संधारण शुल्क को समाप्त किया जाय।

साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि, उद्योग को भूमियॉ म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त की गई हैं उनके विकास हेतु म.प्र. शासन द्वारा धन राशि प्रदान की गई है, इस तरह से उद्योगों को लीज पर दी गई औद्योगिक भूमि पर स्वामित्व राज्य शासन का हैं। नगर निकायों के नियमों के अंतर्गत शासकीय संपत्तियों पर सम्पत्ति कर देय नही है। अतः उद्योगों पर प्रभावशील संपत्ति कर स्वयं नगर निकायों के अपने नियमों का उल्लंघन है। अतः शासकीय भूमि पर स्थापित उद्योगों को संपत्ति कर देने से मुक्त किया जाय।

उपरोक्त दोनों विषयों पर आपका सहयोग म.प्र. में आगामी वर्षों में कम से कम 10 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

प्रतिलिपिः

1. श्री शिवराजसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. श्री जगदीश देवड़ा, माननीय वित्त मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, भोपाल।
5. श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. श्री विवेक पोरवाल, सचिव, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. प्रदेश के सभी उद्योग संघों की ओर।
8. श्री अरूण जैन, अध्यक्ष, म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, जबलपुर।

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

परिपत्र क्रमांकः 55

क्रमांकः एमपीएसएसआईओ / 23 / 2020–21 / 1025–1034 दिनांकः 14.12.2020

प्रति,

श्रीमती दीपाली रस्तोगी(IAS)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः मध्यप्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी कम करने बावत्।

संदर्भः 1. हमारा पत्र क्रमांक MPSSIO/23/2020-21/805 dated 20.10.2020 एवं पत्र क्रमांक MPSSIO/23/2020-21/919-925 dated 28.10.2020.
2. म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक 2700/2988/2020/2/पांच दि. 19.11.2020

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से हमने कथन किया था कि, मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा होने के कारण राज्य को न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है बल्कि वैकल्पिक माध्यमों से नागरिक अपनी–अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कर रहे है, जो विधिवत नहीं हैं।

राज्य शासन का यह दायित्व है कि, सर्वप्रथम ऐसे वातावरण का निर्माण करे, जिससे आम आदमी अपने कार्य विधिवत कर सकें, उसमें राजस्व प्राप्ति Secondary विषय है। हम आपके संज्ञान में दैनिक भास्कर दिनांक 10 दिसम्बर 2020 में छपी खबर की छाया प्रति संलग्न कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि, महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत होने के कारण रियल स्टेट के कारोबार में 67 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वास्तविकता यह है कि स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क युक्ति संगत होने पर आम आदमी विधिवत कार्य करता है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि, मध्यप्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क क्रमशः 5 तथा 1 प्रतिशत तक सीमित किया जाय। हम आपको विश्वास दिलाते है कि, इसमे राज्य शासन का राजस्व बढ़ेगा कम नही होगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

प्रतिलिपिः

1. श्री शिवराजसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. श्री जगदीश देवड़ा, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. श्री विवेक पोरवाल, सचिव, म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, मोती बंगला परिसर, एम.जी. रोड, इन्दौर।
7. श्री भास्कर लक्षाकार, संचालक एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
8. प्रदेश की सभी प्रमुख औद्योगिक संगठनों की ओर।
9. श्री अरूण जैन, अध्यक्ष, म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन, जबलपुर।

(विपिन कुमार जैन)
महासचिव

परिपत्र क्रमांकः 56

MPSSIO Last three months Representation/Activities/Events

दिनांक		विषय / गतिविधि / कार्यक्रम
05.10.2020	1. श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार 2. श्री नीति गड़करी माननीय एमएसएमई मंत्री, भारत सारकार 3. राज्य शासन के मंत्री / अधिकारियों की ओर	पेट्रोलियम आईल कम्पनियों द्वारा वित्त विभाग के आदेशों की अवहेलन करने बावत्।
05.10.2020	1. श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार 2. श्री नीति गड़करी माननीय एमएसएमई मंत्री, भारत सारकार 3. राज्य शासन के मंत्री / अधिकारियों की ओर	कॉटन शीड(विनोले) कृषि उपज के परिवहन पर जीएसटी लगाये जाने बावत्।
13.10.2020	भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल के रीजनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित 55वीं अधिकार प्राप्त समिति एमएसएमई की बैठक वेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें महासचिव श्री विपिन कुमार जैन ने भागीदारी की।	
17.10.2020	1. श्री शिवराहसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन 2. श्री जगदीश देवड़ा, माननीय वाणिज्यिक कर मंत्री / श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय एमएसएमई मंत्री, म.प्र. शासन एवं अन्य अधिकारियों की ओर	प्रदेश मे स्टाम्प ड्यूटी कम करने बाबत्।
17.10.2020	————	सदस्य इकाइयों से प्राप्त पत्र एवं जानकारी पर अग्रेतर कार्यवाही
20.10.2020	————	साधारण सभा का आयोजन
23.10.2020	1. श्री शिवराहसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन 2. श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय एमएसएमई मंत्री, म.प्र. शासन एवं अन्य अधिकारियों की ओर	प्रदेश के शाकीय औद्योगिक क्षेत्रों में अविकसित भू–खण्डों को लीज़ पर दिये जाने बावत्।
03.11.2020	श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय एमएसएमई मंत्री, म.प्र. शासन	एमएसएमई फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा शीघ्र निर्णय एवं पूर्ण निराकरण सहित वसूली समयावधि मे कराये जाने बावत्।

दिनांक		विषय / गतिविधि / कार्यक्रम
24.11.2020	1. श्री शिवराहसिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन 2. श्री प्रद्युमसिंह तोमर, माननीय ऊर्जा मंत्री / श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय एमएसएमई मंत्री, म.प्र. शासन एवं अन्य अधिकारियों की ओर	फैक्ट्री एक्ट के अर्न्तगत कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया का विरोध
24.11.2020	श्रीमती आनंदी बेन पटेल, माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश	फैक्ट्री एक्ट के अर्न्तगत कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया का विरोध
25.11.2020	————	विशेष साधारण सभा का आयोजन
25.11.2020	एमएसएमई टेक्नॉली सेन्टर (IGTR) इन्दौर की 50th Meeting of the Governing Council & 28th Annual Meeting of General Body का आयोजन विकास आयुक्त एमएसएमई नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनंक 25.11.2020 को आयोजित हुई जिसमें श्री अरूण जैन अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ ने भागीदारी कर अपने विचार एवं सुझाव रखें।	
04.12.202	Advisors Club द्वारा एमपीएसएसआईओ के सहयोग से Investor Awaness Programme वेबीनार के माध्यम से आयोजित किया गया।	
08.12.2020	1. श्री लक्षाकार भास्कर, संचालक, एमएसएमई, मध्यप्रदेश 2. श्री ओमप्रकाश सकलेचा, माननीय एमएसएमई मंत्री, म.प्र. शासन एवं अन्य अधिकारियों की ओर	एमएसएमई को दिये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार के मापदण्ड निर्धारित करने के संबंध में।
08.12.2020	श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	प्रदेश की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गठित आईएमसी के अध्यक्षों / सदस्यों के चयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के संबंध में।
11.12.2020	MPSSIO in colloboration with Aakhya India and Amazon India organize a webinar at 11th Dec. 2020 on Empowering MSMEs enabling opportunities towards on "Aatmanirbhar Bharat in MP" President MPSSIO Shri Arun Jain was one of the panelist with Shri Om Prakash Sakhlecha, Hon'ble MSME Minister, Govt. of MP, Shri Vivek Porwal, Secretary, MSME, Govt. of MP.	
18.12.2020	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई से संबंधित विषयों पर चर्चा करने हेतु दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को वेबीनार द्वारा टाउन हाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे श्री विपिन कुमार जैन महासचिव, एमपीएसएसआईओ विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी की तथा अपने विचार एवं सुझाव रखे।	
23.12.2020	MPSSIO in colloboration with ibizzo Banglaore organize a webinar at 23th Dec. 2020 at 12 noon on Connecting your members to the members of other Business Associations/Organization on a unified B2B marketplace. In which Mr. R A Radhakrishnan is key speaker of the program and Mr. Arun Jain President, Mr. Suneel Bhargava Vice President, Mr. Vipin Kumar Jain Secretary General, Mr. Sudhir Kumar Mishra Secretary, Mr. Sunit Jain Guna, Mr. Ashok Jain Betul etc. was the participant of the programme.	
23.12.2020	MPSSIO in colloboration with FICCI - Chhattisgarh State Council organize a webinar at 23th Dec. 2020 at 3 pm on Global Bharat Program - Making Indian MSMEs Globally Competitive	

* * * * *

परिपत्र क्रमांकः 57

AMAZON INDIA AND AAKHYA INDIA
द्वारा आयोजित वेबीनार दिनांक 11 दिसम्बर 2020

उपरोक्त कम्पनी द्वारा प्रदेश के उद्योगों के विकास हेतु एक वेबीनार का आयोजन दिनांक 11 दिसम्बर 2020 को आयोजित किया गया। इस वेबीनार में माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री म.प्र. शासन श्री ओमप्रकाश सखलेचा, श्री विवेक पोरवाल सचिव एमएसएमई एवं उद्योग आयुक्त, म.प्र. शासन, श्री हिमांशु राय डायरेक्टर, आई.आई.एम. इन्दौर, श्री प्रनब भसीन डायरेक्टर एमएसएमई तथा विपणन अनुभवी अमेजॉन इण्डिया, एवं श्री अरूण जैन अध्यक्ष म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन पैनल अतिथि थे। कार्यक्रम को प्रदेश के करीब 150 उद्यमियों द्वारा अवलोकन किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों तथा उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में अमेजॉन की भागीदारी हेतु किये जारहे सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। श्री नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार तथा श्री शिवराजसिंह चौहान माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन के नेतृत्व को सराहते हुये आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को यथार्थता प्रदान किये जाने का आव्हान किया। जिससे कोविड–19 के कारण नाकारात्मक सोच सकारात्मक सोच धारा को में बदलने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस हेतु उन्हें बधाई प्रदान की। श्री अरूण जैन अध्यक्ष म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिजों तथा अन्य वस्तुओं के वेल्यू एडिशन के प्रयास करने हेतु आव्हान किया। कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव श्री अरूण जैन अध्यक्ष एमपीएसएसआईओ द्वारा किया गया।

* * * * *

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in